

सहायक कलेक्टर भरतपुर, भरतपुर

प्रकरण सं. प्रा.प./24/2015

दर्ज दिनांक:- 04.06..2015

1. विस्सा पता—

.....प्रार्थी

बनाम

2. ईश्वरी प्रसाद पता—

..

.....अप्रार्थीगण

उपस्थित:

दुलीचंद शर्मा

प्रार्थी अभिभाषक

जितेन्द्र

अप्रार्थी अभिभाषक



निर्णय

सत्यमेव जयते

दिनांक:-06.03.2018

वकील उभय पक्ष उपस्थित/ पत्रावली का अवलोकन किया। प्रतिवादी सं. 1 से 5 की तलवी हेतु बार-बार अवसर देने के बावजूद भी तलवी नहीं कराई गई। दिनांक 30.01.2018 एवं 27.11.2017 को भी तलवी न कराने पर दावा अपालना में खारिज कराने की चेतावनी दी जा चुकी हैं। किन्तु वादी द्वारा प्रतिवादी सं. 1 से 5 की तलवी नहीं कराई गई है। प्रतीत होता है कि वादी अपने प्र.पत्र के प्रति सजग नहीं है। ऐसी स्थिति में प्र.प. वादी ओ.-9-आर.5-सीपीसी के तहत अपालना में खारिज किया जाता है। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर बाद तकमील दा.द.हो।

(पुष्कर कुमार मित्तल)

आर.ए.एस.

सहायक कलेक्टर, भरतपुर

